सं0-2758/62-2-2016-2/3(15)/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 **लखनऊ- दिनांक- 15 नवम्बर,2016**

विषय- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन लघु सिंचाई योजनान्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग चेकडैमों का निर्माण हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि का आवंटन (जिला योजना)।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-3978/ल0सिं0/बजट-एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0/2016-17,दिनांक-20.10.2016 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैमों के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-502.80 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1161/62-2-2016-2-2016-2/3(15)/2016,दिनांक-18.04.2016 द्वारा धनराशि रू0-251.40 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0-251.40 लाख (दो करोड इक्यावन लाख चालिस हजार मात्र) संलग्न विवरणानुसार शासनादेश संख्या-1161/62-2-2016-2/3(15)/2016,दिनांक-18.04.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- **उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की जिला योजना के अन्तर्गत जिन जनपदों में किसी योजना हेतु उपलब्ध परिव्यय उस योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध बजट प्राविधान से कम अथवा शून्य है, उन योजनाओं में बजट की सीमा तक की स्वीकृति जारी करने पर कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग को इस शर्त के साथ कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है, उन योजना में जिला योजना समिति का कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर लेंगें तथा अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईवल सब प्लान के मानकों का अनुपालन करते हुये सम्पूर्ण धनराशि का व्यय सुनिश्चित करेंगें।**

3- **तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजानगत-789-अनुसूचित जातियों के लिये**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष घटक योजना-06-लघु सिंचाई योजनान्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-746/दस-2016-231/2016,दिनांक-22.03.2016 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के पत्र संख्या-07/26-ब0प्र0-2015,दिनांक-27.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

सं0-2758(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
14- एन0आई0सी0 की प्रति।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2758/62-2-2016-2/3(15)/2016,दिनांक 15 नवम्बर, 2016 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजानगत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-लघु सिंचाई योजनान्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत्त निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	प्राविधान के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	हाथरस	50.00	36.00	18.00	18.00
2	इलाहाबाद	72.80	72.00	36.00	36.00
3	कौशम्बी	35.00	35.00	18.00	17.00
4	प्रतापगढ	110.00	107.80	53.40	54.40
5	जालौन	50.00	36.00	18.00	18.00
6	ललितपुर	100.00	90.00	36.00	54.00
7	हमीरपुर	30.00	18.00	18.00	0.00
8	महोबा	90.00	72.00	36.00	36.00
9	चित्रकूट	50.00	36.00	18.00	18.00
	योग-	587.80	502.80	251.40	251.40

(रू0 दो करोड इक्यावन लाख चालिस हजार मात्र)

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।